

प्रेम,

श्री अजीक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रति विहार नई दिल्ली ।

दिनांक 171 अनुभाग

दिनांक: अक्टूबर, 1994

विषय:- राम गिरी मन्दिर कुनियर हाईस्कूल महादेव धारखण्डी पोठ खोराबाद गोरखपुर को सी0पी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु आचार्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि राम गिरी मन्दिर कुहाठ स्कूल महादेव धारखण्डी पोठ खोराबाद गोरखपुर को सी0पी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन आचार्यता नहीं है ।

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीताडकी का सभ्य सभ्य पर ध्यान देकर कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय को प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा मान्यता दी जायेगी ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभा तयान अनुसूचित जाति/पुश्चिद जाजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाचित विद्यार्थियों में विद्यार्थी बंधनों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्रति शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीरिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उपरोक्त परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान तयत: समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था के लिए शिष्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्रमाण शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्त्र वेतनमात्रों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तें नहीं दिये जायेंगे ।

92.

tion
chandi
ve
199
nder
sign
the
ber
les
two
re
to
ran
er/
ce
py
ith
to
ne

- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें मजबूती जायेगी और उन्हें सजाय प्राप्त आभासीय उद्योग माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।
 - 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
 - 8- विद्यालय का रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र/विस्तारों में रखा जायेगा।
 - 9- उपाय शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्करण नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि विद्यालय स्था 6 के तर्जि त मजबूती और संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यालयों में कर्मचारियों को पथात्मक लागू करके शासन को आमत कराया जायेगा।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में क्विंत दुकार को पूरक या विधिगत करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापरित प्रमाण पर शासन में लिया जायेगा।

भयदीप,


अशोक गौड़जी।
उप तयि।

पुस्तक 3069111/15-7-1994 तददिनांक
=====

प्रतिनायक नि-निर्दिष्ट को सुवनाय एवं आवश्यक कार्यगती हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
- 4- निरीयक, जॉनल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, राम शिशु भान्दर कुवाँरिक्ल मंडादेन भारतन्डी धोरावाक गोरखपुर।

अतः से,


अशोक गौड़जी।
उप तयि।

tion
chandi,
ve
1999
nder
signm
the
ber
les a
two v
re r
to
ran
er/
ce
py
it
o
le